संख्या- 230 /2025 / 967 /चार-2025-1911625

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 30 मई, 2025**

विषय- जनपद बदायूं के विकास खण्ड दातागंज में 500 व्यक्तियों की क्षमता के ऑडिटोरियम के निर्माण कार्य एवं एक वृहद लाइब्रेरी के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5909/सं0नि0-6(30)/2024-25 दिनांक 19 मार्च, 2025 के संदर्भ में अवगत कराना है कि जनपद बदायूं के विकास खण्ड दातागंज में 500 व्यक्तियों की क्षमता के ऑडिटोरियम के निर्माण कार्य एवं एक वृहद लाइब्रेरी के निर्माण कार्य के संबंध में नामित कार्यदायी संस्था-यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/आगणन का प्रायोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त प्रस्तावित (प्रारम्भिक) लागत के सापेक्ष निम्नानुसार लागत आंकलित की गयी है:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0	प्रायोजना प्रस्ताव का नाम	प्रस्तावित लागत	आंकलित लागत	कटौती का विवरण
1	जनपद बदायूं के विकास खण्ड दातागंज में 500 व्यक्तियों की क्षमता के **ऑडिटोरियम** का निर्माण कार्य	1178.59	**1107.95**	-70.64
2	जनपद बदायूं के विकास खण्ड दातागंज में **एक वृहद लाइब्रेरी** का निर्माण कार्य	150.77	**148.42**	-2.34

प्रायोजना की प्रस्तावित लागत के सापेक्ष आंकलित लागत का तुलनात्मक विवरण संलग्न है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित परियोजनाओं हेतु स्तम्भ-3 में अंकित धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति तथा स्तम्भ-4 में अंकित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक -4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय -04- कला एवं संस्कृति - 800- अन्य व्यय - 03- प्रेक्षागृह/ खुला मंच का निर्माण - 24- वृहत् निर्माण कार्य मद से प्रदान करते हुए, **धनराशि** अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

क्र0	प्रायोजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति	वित्तीय स्वीकृति
1	2	3	4
1	जनपद बदायूं के विकास खण्ड दातागंज में 500 व्यक्तियों की क्षमता के **ऑडिटोरियम** के निर्माण कार्य	**1107.95 लाख**	200.00 लाख
2	जनपद बदायूं के विकास खण्ड दातागंज में **एक वृहद लाइब्रेरी** का निर्माण कार्य	**148.42 लाख**	75.00 लाख
	योग (रूपये दो करोड़ पिचहत्तर लाख मात्र)		**275.00 लाख**

3. <u>शर्तें/ प्रतिबन्ध:-</u>

(1) वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रायोजना प्रस्ताव/ आगणन का गठन वर्तमान में प्रभावी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की कुर्सी क्षेत्रफल दर वर्ष 2023 की दरों में फैक्टर/ कास्ट इन्डेक्स का समावेश के आधार पर किया गया है। प्रयोजना का गठन वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दरा-2021-10/99 दिनाक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी०पी०आर० गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जायेगी। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(3) प्रायोजना प्रस्ताव/ आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(4) प्रायोजना प्रस्ताव/ आगणन में अनावासीय भवन के रेस्टोरेशन / निर्माण कार्य से संबंधित कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। अत: दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के शासनादेश सं0-5/2021/फाइल नं0-65-2013/ 2/ 2019-2 दिनाक 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु भवनों को दिव्यांगजन हितैषी /बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in India, 2021 दिये गये प्रावधानों के अनुसार संस्कृति निदेशालय /कार्यदायी संस्था द्वारा भवन का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जायेगा। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो

https://shasanadesh.up.gov.in

बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।

(6) प्रायोजना- जनपद बदायूं के विकास खण्ड दातागंज में 500 व्यक्तियों की क्षमता के **ऑडिटोरियम** के निर्माण कार्य के अन्तर्गत थर्ड पार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु सिविल कार्यों की लागत पर 0.5 प्रतिशत की दर से धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। संस्कृति निदेशालय द्वारा थर्ड पार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी संस्थान का चयन किया जायेगा। चयनित संस्था द्वारा न्यनूतम 5 बार स्थलीय निरीक्षण कार्य किया जायेगा तथा प्रत्येक निरीक्षण कार्य करने के उपरान्त संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन, संस्कृति निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था को स्थलीय रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। उक्त रिपोर्ट से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरान्त ही संस्कृति निदेशालय द्वारा क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु चयनित संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(7) प्रायोजनान्तर्गत ऑडिटोरियम/ लाइब्रेरी हेतु क्रमश: रू0 64.16 लाख एवं 10.72 लाख की धनराशि सम्मिलित की गयी है। प्रमुख सचिव, संस्कृति द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे। इस समिति के द्वारा न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर संस्तुत फर्नीचर का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाना अपेक्षित है।

(8) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों से सम्बन्धित सामग्री की लागत प्रायोजना में उपभोग (CONSUMED) की गयी सामग्री यथा-सीमेन्ट, स्टील इत्यादि की मात्राओं का अनुपातिक मिलान करते हुए जी०एस०टी० भुगतान किया जायेगा।

(9) प्रायोजना के विस्तृत आगणन (डी0पी0आर0) में दरें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता (भवन), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं0-272कैम्प/मु0अभि0(भवन) / 2023, दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0-294कैम्प/मु0अभि0(भवन)/2023, दिनांक 267 अक्टूबर, 2023 के अनुसार एवं वर्तनाम बाजार भाव की दरों के विश्लेषण के अनुसार ली गयी हैं। कतिपय ऐसी कार्यमदें जिनकी दरें उक्त दरों में उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें बाजार दरों/ कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी हैं। बाजारदरों/ कोटेशन पर आधारित व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

(10) प्रायोजना- जनपद बदायूं के विकास खण्ड दातागंज में 500 व्यक्तियों की क्षमता के **ऑडिटोरियम** के निर्माण कार्य के अन्तर्गत वी0आर0वी0 सिस्टम 100 एच0पी0 का प्रावधान किया गया है। वी0आर0वी0 सिस्टम की स्थापना का कार्य न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर संस्कृति निदेशालय / कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना सुनिश्चत किया जायेगा।

(11) प्रायोजना- जनपद बदायूं के विकास खण्ड दातागंज में 500 व्यक्तियों की क्षमता के **ऑडिटोरियम** के निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रस्तावित विद्युत संयोजन हेतु रू0 20.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है। संस्कृति निदेशालय द्वारा विस्तृत आगणन यू०पी०पी०सी०एल० के सक्षम स्तर से प्राप्त कर वास्तविकता के आधार पर भुगतान किया जायेगा। वाह्य विद्युत संयोजन मद में वास्तविक धनराशि देय होगी। उक्त अनुमन्य धनराशि एवं वास्तविक धनराशि में कोई अन्तर आता है तो वास्तविक धनराशि ही अनुमन्य धनराशि मानी जायेगी एवं प्रायोजना के पुन: प्रभाग से परीक्षण कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

(12) प्रयोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/ सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(13) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि से 18 माह में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अविधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

(15) संस्कृति निदेशालय द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(16) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ संस्कृति निदेशालय का होगा।

(17) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।

(18) प्राविधानों को यथावत मानते हुये प्रायोजना का परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(19) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संस्कृति निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(20) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।

(21) संस्कृति निदेशालय द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। राजस्व पक्ष से सम्बन्धित व्यय का भुगतान पूंजीगत पक्ष से न करके राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक के संगत मद में उपलब्ध प्राविधान से सुनिश्चित किया जायेगा।

(22) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।

(23) प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अधीन एवं व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(24) संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबंधन के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या- 02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(25) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, संस्कृति निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(26) परियोजना हेतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि परियोजना निर्माण के उपरान्त गुणवत्ता से संतुष्ट होने के उपरान्त ही नियमानुसार निर्गत की जायेगी।

(27) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(28) संस्कृति निदेशालय द्वारा उक्त धनराशि कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा गुणवत्ता प्रमाण पत्र आदि संस्कृति विभाग, उ0 प्र0 शासन तथा संस्कृति निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(29) उपरोक्तानुसार परियोजना हेतु मदवार मूल्यांकित / स्वीकृत लागत का विवरण संलग्न है।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 2,75,00,000 (रूपये दो करोड़ पिचहत्तर लाख मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक -4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय -04- कला एवं संस्कृति -800- अन्य व्यय - 03- प्रेक्षागृह/ खुला मंच का निर्माण - 24- वृहत् निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-7- 11 -X-2025-26-दिनांक 26-05-2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, बदायूं।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
6- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, (यू0पी0पी0सी0एल0), लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार,जवाहर भवन, लखनऊ।
8- परियोजना प्रबंधक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, निर्माण इकाई- 06, बरेली।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 230 /2025 / 967 /चार-2025-1911625 दिनांक 30 मई, 2025 का संलग्नक

प्रस्तावित लागत के सापेक्ष आंकलित लागत का तुलनात्मक विवरण **(Rs. In Lacs)**

- क्रम संख्या – 1 पर अंकित प्रायोजना की प्रस्तावित लागत के सापेक्ष प्रभाग द्वारा आंकलित लागत का विवरण निम्नवत् है–

(लागत लाख रू0 में)

क्र. सं.	मद का नाम	इकाई	प्रस्तावित लागत			प्रभाग द्वारा आंकलित लागत			कटौती
			मात्रा	छर (रू0 में)	लागत	मात्रा	दर (रू0 में)	लागत	
			सी0पी0डब्लू0डी0 पी0ए0आर0– 2023 की दरों पर की दरों में फैक्टर / कास्ट इन्डेक्स			सी0पी0डब्लू0डी0 पी0ए0आर0– 2023 की दरों पर की दरों में फैक्टर / कास्ट इन्डेक्स			
	आडीटोरियम– 500 क्षमता								
1	भूतल	Sqm.	1166.00	22440.99	261.66	1166.00	22440.99	261.66	0.00
2	प्रथम तल	Sqm.	350.00	22440.99	78.54	350.00	22440.99	78.54	0.00
3	ममटी	Sqm.	50.00	22440.99	11.22	50.00	22440.99	11.22	0.00
	योग	Sqm.	**1566.00**		**351.43**	**1566.00**		**351.43**	**0.00**
4	छत की अतिरिक्त ऊंचाई– (7.200–3.600= 3.600 / 0.300= 12X421=5052)	Sqm.	673.35	3678.52	24.77	673.35	3678.52	24.77	0.00
	योग				**376.20**			**376.20**	**0.00**
5	नीवं की अतिरिक्त गहराई– 1.500–1.200= 0.300 / 0.300= 1X230=230)	Sqm.	**1166.00**	167.47	1.95	**1166.00**	167.47	1.95	0.00
6	आंतरिक जलमल कार्य	Rs. Lacs	376.20	4.00%	15.05	376.20	4.00%	15.05	0.00
7	आंतरिक विद्युतीकरण	Rs. Lacs	376.20	12.50%	47.02	376.20	12.50%	47.02	0.00
8	पावर वायरिंग एवं प्लग	Rs. Lacs	376.20	4.00%	15.05	376.20	4.00%	15.05	0.00
9	फायर फाइटिंग सिस्टम– विद वेट राइजर एण्ड स्प्रिंक्लर सिस्टम	Sqm.	1566.00	873.76	13.68	1566.00	873.76	13.68	0.00
10	फायर अलार्म सिस्टम	Sqm.	1566.00	436.88	6.84	1566.00	436.88	6.84	0.00
11	अण्डर ग्राउण्ड सम्प	Ltr	50000.00	16.75	8.37	50000.00	16.75	8.37	0.00
	योग				**484.17**			**484.17**	**0.00**
	वाहय विकास कार्य								
12	ट्यूववैल– 150 मी0 गहराई, एवं 5 एच0पी0 पम्प	No.	1.00		7.82	1.00		7.82	0.00

https:..

(लागत लाख रू0 में)

क्र. सं.	मद का नाम	इकाई	प्रस्तावित लागत			प्रभाग द्वारा आंकलित लागत			कटौती
			मात्रा	छर (रू0 में)	लागत	मात्रा	दर (रू0 में)	लागत	
13	आन्तरिक रोड –125 एम0एम0 जी0एस0बी0 व एम–30 ग्रेड पीक्यूसी	Sqm.	300.00	1529.07	4.59	300.00	1529.07	4.59	0.00
14	स्ट्रार्म वाटर ड्रेन	RM	150.00	7390.53	11.09	150.00	7390.53	11.09	0.00
15	एक्सटर्नल वाटर सप्लाई ग्रिड सबमरसेबिल पम्प से सप्लाई हेतु	RM	150.00	1405.29	2.11	150.00	1405.29	2.11	0.00
16	रेनवाटर हार्वेस्टिंग	Sqm.	350.00	2774.18	9.71	350.00	2774.18	9.71	0.00
17	स्ट्रीट लाइटिंग	Sqm.	2000.00	116.50	2.33	2000.00	116.50	2.33	0.00
18	हार्टीकल्चर	Sqm.	760.00	227.18	1.73	760.00	227.18	1.73	0.00
19	सबस्टेशन उपकरण	KVA	200.00	2766.90	5.53	200.00	2766.90	5.53	0.00
20	एयर कन्डीशिनिंग सिस्टम (वी0आर0वी0 / वी0अर0एफ0)	HP	100.00	58480.00	58.48	100.00	42581.09	42.58	-15.90
21	सी0सी0टी0वी0	Sqm.	2000.00	210.00	4.20	Sr. No. 37		0.00	-4.20
	COST OF FINISHING/INTERIOR WORKS								
22	INTERIOR WORKS	Rs. Lacs			175.17			157.66	-17.52
23	PROSCENIUM & MAIN STAGE CURTAIN	Rs. Lacs			12.96	On Sr. 38		0.00	-12.96
24	CYCLORAMA 25 ft * 10 Ft	Rs. Lacs			4.96	On Sr. 39		0.00	-4.96
25	SOUND SYSTEM	Rs. Lacs			27.11	On Sr. 40		0.00	-27.11
26	PROJECTION SYSTEM	Rs. Lacs			12.98	On Sr. 41		0.00	-12.98
27	STAGE LIGHTING	Rs. Lacs			21.92	On Sr. 42		0.00	-21.92
28	LIGHTING GRID	Rs. Lacs			3.04			0.00	-3.04
	योग				**849.89**			**729.31**	-120.58
29	आकस्मिक व्यय	Rs. In Lacs	849.89	1%	8.50	729.31	1%	7.29	-1.21
	योग				**858.39**			**736.60**	**-121.79**
30	5 प्रतिशत की कमी	Rs. In Lacs	858.39	-5%	-42.92	736.60	-5%	-36.83	6.09
	योग				**815.47**			**699.77**	**-115.70**
31	सेन्टेज चार्ज	Rs. In Lacs	815.47	10%	81.55	699.77	10%	69.98	-11.57
32	लेबर सेस	Rs. In Lacs	815.47	1%	8.15	699.77	1%	7.00	-1.15
33	जी0एस0टी0	Rs. In Lacs	815.47	18%	146.78	699.77	18%	125.96	-20.82
	योग				**1051.95**			**902.71**	**-149.24**
34	फर्नीचर / चेयर्स– 500 नग	Rs.			71.28			64.15	-7.13
35	वाटर कूलर विद आर0ओ0				2.50			2.25	-0.25
36	डी0जी0सेट	kva	150.00	8496.60	12.74	150.00	8417.19	12.63	-0.12
37	सी0सी0टी0वी0	Sqm.	S.No. 21		0.00	2000.00	152.91	3.06	3.06
38	PROSCENIUM & MAIN STAGE CURTAIN	Rs. Lacs	On Sr. 23		0.00			11.66	11.66
39	CYCLORAMA 25 ft * 10 Ft	Rs. Lacs	On Sr. 24		0.00			4.46	4.46
40	SOUND SYSTEM	Rs. Lacs	On Sr. 25		0.00			24.40	24.40
41	PROJECTION SYSTEM	Rs. Lacs	On Sr. 26		0.00			11.69	11.69
42	STAGE LIGHTING	Rs. Lacs	On Sr. 27		0.00			19.73	19.73
	योग– बॉट आउट आइटम				**86.52**			**154.02**	67.50
	जी0एस0अम0 बॉट आउट आइटम पर	Rs.	84.02	18%	15.12	154.02	18%	27.72	12.60
43	थर्ड पार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल	Rs. In Lacs			0.00	699.77	0.50%	3.50	3.50
44	एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक सर्विस कनैक्शन (विद्युत विभाग)	Rs. Lacs			25.00			20.00	-5.00
	प्रायोजना की कुल लागत				**1178.59**			**1107.95**	**-70.64**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- **कम संख्या – 2 पर अंकित प्रायोजना की प्रस्तावित लागत के सापेक्ष प्रभाग द्वारा आंकलित लागत का विवरण निम्नवत् है–**

(लागत लाख रू0 में)

क्र. सं.	मद का नाम	इकाई	प्रस्तावित लागत			प्रभाग द्वारा आंकलित लागत			कटौती
			मात्रा	दर (रू0 में)	लागत	मात्रा	दर (रू0 में)	लागत	
			सी0पी0डब्लू0डी0 पी0ए0आर0– 2023 की दरों पर की दरों में फैक्टर / कास्ट इन्डेक्स			सी0पी0डब्लू0डी0 पी0ए0आर0– 2023 की दरों पर की दरों में फैक्टर / कास्ट इन्डेक्स			
	वृहद लाइब्रेरी,								
1	भूतल	Sqm.	262.00	22440.99	58.80	262.00	22440.99	58.80	0.00
	योग	Sqm.	**262.00**		**58.80**	**262.00**		**58.80**	**0.00**
2	छत की अतिरिक्त ऊंचाई– (4.200–3.600= 0.600 / 0.300= 2X421=842)	Sqm.	262.00	613.00	1.61	262.00	613.00	1.61	0.00
	योग				**60.40**			**60.40**	**0.00**
3	नीवं की अतिरिक्त गहराई– 1.500–1.200= 0.750 / 0.300= 1X230=230)	Sqm.	**262.00**	167.47	0.44	**262.00**	167.47	0.44	0.00
4	कुर्सी की अतिरिक्त ऊंचाई	Sqm.	**262.00**	153.27	0.40	**262.00**	153.27	0.40	
5	आंतरिक जलमल कार्य	Rs. Lacs	60.40	4.00%	2.42	60.40	4.00%	2.42	0.00
6	आंतरिक विद्युतीकरण	Rs. Lacs	60.40	12.50%	7.55	60.40	12.50%	7.55	0.00
7	पावर वायरिंग एवं प्लग	Rs. Lacs	60.40	4.00%	2.42	60.40	4.00%	2.42	0.00
8	फायर फाइटिंग सिस्टम– विद वेट राइजर एण्ड स्प्रिंक्लर सिस्टम	Sqm.	262.00	873.76	2.29	262.00	873.76	2.29	0.00
9	फायर अलार्म सिस्टम	Sqm.	262.00	436.88	1.14	262.00	436.88	1.14	0.00
	योग				**77.06**			**77.06**	**0.00**
	वाहय विकास कार्य								
10	सबमर्सिबल पम्प	No.	1.00		2.50	1.00		2.50	0.00
11	रेलवाटर हार्वेस्टिंग	RM	80.00	2774.18	2.22	80.00	2774.18	2.22	0.00
12	स्ट्रार्म वाटर ड्रेन	RM	125.00	7390.53	9.24	125.00	7390.53	9.24	0.00
13	वाहय स्थल विकास	Rs. Lacs	77.06	3.00%	2.31	77.06	3.00%	2.31	0.00
14	एयर कन्डीशिनिंग सिस्टम	H.P.	10.00	42581.09	4.26	10.00	42581.09	4.26	0.00
15	फाल्स सीलिंग	Sqm.	200.00	1915.28	3.83	200.00	1915.28	3.83	0.00
16	कर्टेन रोड	RM	30.00	307.09	0.09	On sr No.26		0.00	-0.09
17	वाटर कूलर विद प्यूरीफायर	No.	1.00		1.25	On sr No.27		0.00	-1.25
18	लाइब्रेरी फर्नीचर	Rs. Lacs			11.91	On sr No.28		0.00	-11.91
19	सी0सी0टी0वी0	Sqm.	262.00	152.91	0.40	On sr No.29		0.00	-0.40
					38.01			**24.36**	**-13.65**
20	आकस्मिक व्यय	Rs. In Lacs	115.07	1%	1.15	101.42	1%	1.01	-0.14
	योग				**116.22**			**102.43**	**-13.79**
21	5 प्रतिशत की कमी	Rs. In Lacs	116.22	-5%	-5.81	102.43	-5%	-5.12	0.69
	योग				**110.41**			**97.31**	**-13.10**
22	सेन्टेज चार्ज	Rs. In Lacs	110.41	10%	11.04	97.31	10%	9.73	-1.31
23	लेबर सेस	Rs. In Lacs	110.41	1%	1.10	97.31	1%	0.97	-0.13
24	जी0एस0टी0	Rs. In Lacs	110.41	18%	19.87	97.31	18%	17.52	-2.35
	योग				**142.42**			**125.53**	**-16.89**
25	5 कि0वाट सोलर ग्रिड (नेडा के अनुसार)	Rs.	5.00	166716.67	8.34	5.00	166716.67	8.34	0.00
26	कर्टेन रोड	RM	On sr No.16		0.00	30.00	307.09	0.09	0.09
27	वाटर कूलर विद प्यूरीफायर	No.	On sr No.17		0.00	1.00		1.13	1.13
28	लाइब्रेरी फर्नीचर	Rs. Lacs	On sr No.18		0.00			10.72	10.72
29	सी0सी0टी0वी0	Sqm.	On sr No.19		0.00	262.00	152.91	0.40	0.40
30	जी0एस0टी0 बॉट आउट आइटमों पर	Rs. In Lacs	0.00	18%	0.00	12 34	18%	2.22	2.22
	प्रायोजना की कुल लागत				**150.77**			**148.42**	**-2.34**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।